FIROZABAD POLICE

" सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा "

सराहनीय कार्य दिनाँक 27-02-2023 थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद।

एसएसपी फिरोजाबाद के निर्देशन में शराब माफिया पर की गयी बड़ी कार्यवाही।

थाना नगला खंगर पुलिस द्वारा कुल अनुमानित मूल्य 8 लाख 41 हजार रुपये की सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14 (1) गैगस्टर एक्ट के तहत किया गया कुर्क।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिरसागंज महोदय के कुशल नेतृत्व में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश पत्रांक वाद संख्या 158/2023 सरकार बनाम सुभाष अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोह वन्द एवं असामाजिक क्रिय़ाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अनुपालन मे थाना नगला खंगर पर पंजीकृत मु0अ0स0 142/2020 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभि0 सुभाष पुत्र नाथूराम निवासी बलीपुर थाना नगला खंगर, फिरोजाबाद द्वारा अवैध रुप से शराव तस्करी करके किये गये अर्जित धन से खाता संख्या 86 गाटा संख्या 108 रकवा 0.032 हेक्टेयर ग्राम ढकरई मे सडक के किनारे अवैध रुप से 02 दुकाने पक्की मय वेसमेन्ट के निर्माण किया गया था जिसकी अनुमानित कीमत 8,41,000 रुपये को श्रीमान जिलामजिस्ट्रेट महोदय के आदेश पर नायव तहसीलदार सिरसागंज के द्वारा क्षेत्राधिकारी सिरसागंज राजवीर सिह, थानाध्यक्ष नगला खंगर महेश सिहं की उपस्थिति मे उक्त सम्पत्ति (02 दुकाने पक्की मय वेसमेन्ट के जिसकी अनुमानित कीमत 841000 रुपये) को नियमानुसार मुनादी कराकर कुर्क किया गया।